नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 अक्तूबर 2017

विषय: खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम स्कीम - अधिकार प्राप्त समिति।

सं. 29-1/एमवाईएएस/एमडीएसडी/2017—जबकि मंत्रिमंडल ने 20.09.2017 को आयोजित अपनी बैठक में पुनर्सरचित खेलो इंडिया - राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम स्कीम को मंजूरी दी है जिससे देश में खेल संस्कृति का संवर्धन और उत्कृष्टता प्रदान करना और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी महिलाओं और पुरुषों सहित सभी आयु-वर्गों में जनता-जनार्दन को खेल क्षमता के उपयोग की अनुमति देते हुए इसके व्यापक प्रभाव के माध्यम से बच्चों और युवाओं के समग्र विकास, सामुदायिक विकास, सामाजिक एकीकरण, लिंग समानता, स्वस्थ जीवन शैली, राष्ट्रीय गौरव तथा खेल विकास से संबंधित आर्थिक अवसर प्रदान करना है।

2. विभिन्न खेल प्रोत्साहन बोर्डों तथा केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) सहित सभी अपेक्षित मंत्रालय/विभागों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जो खेल संबर्द्धन और विकास में शामिल है, मंत्रिमंडल ने खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक अधिकार प्राप्त समिति स्थापित करने की मंजूरी दी है।

3. इस अधिकारिता प्राप्त समिति का गठन निम्न रूप से है:-

क्र.सं.	पदनाम	
1.	सचिव (खेल)	अध्यक्ष
2.	अवर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सदस्य
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रतिनिधि जो कार्यकारी निदेशक से कम रैंक का न हो	सदस्य
4.	प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव/समकक्ष रैंक से कम रैंक का न हो: (i) नीति आयोग। (ii) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय। (iii) संस्कृति मंत्रालय। (iv) रक्षा मंत्रालय। (v) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) (vi) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। (vii) विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांजन)। (viii) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। (ix) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। (x) गृह मंत्रालय। (xi) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। (xii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय। (xiii) नई और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय। (xiv) पंचायती राज मंत्रालय। (xv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। (xvi) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)। (xvii) ग्रामीण विकास मंत्रालय। (xviii) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। (xix) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (xx) इस्पात मंत्रालय। (xxi) पर्यटन मंत्रालय। (xxii) जनजातीय मामलों के मंत्रालय। (xxiii) महिला और बाल विकास मंत्रालय। (xxiv) उपभोक्ता मामलों के विभाग। (xxv) उच्चतर शिक्षा विभाग। (xxvi) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। (xxvii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।	सदस्य

क्र.सं.	पदनाम	
	(xxviii) भारी उद्योग विभाग। (xxix) सार्वजनिक उद्यम विभाग। (xxx) युवा मामलों के विभाग। (xxxi) दिल्ली विकास प्राधिकरण।	सदस्य
5.	संगठन के प्रमुख या संयुक्त सचिव/समकक्ष रैंक के नीचे न होने वाले नामांकित व्यक्ति: - (i) सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड (ii) अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (iii) रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड। (iv) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड। (v) अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के खेल संवर्धन बोर्ड। (vi) कोयला इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन। (vii) पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (पीएसपीबी) (viii) भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन (एसजीएफआई)	सदस्य
6.	संगठन के प्रमुख या संयुक्त सचिव/समकक्ष रैंक के नीचे न होने वाले नामांकित व्यक्ति:- (i) भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ (एआईयू)। (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (iii) दिल्ली विश्वविद्यालय (iv) जामिया मिलिया इस्लामिया. (v) गुरु नानक देव विश्वविद्यालय.	सदस्य
7.	मिशन निदेशालय - खेल विकास, खेल विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव	सदस्य सचिव

4. समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

i. समिति अधिकतम अभिसरण हासिल करने के लिए खेल अवसंरचना के अनुकूलतम उपयोग सहित खेल प्रोत्साहन और विकास पर परियोजनाओं, कार्यक्रमों और व्यय के संबंध में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक संयुक्त कार्य योजना तैयार करेगी। यह मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य स्वायंत्त निकायों एवं राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा किये गये प्रयासों से अभिसरण को सक्षम करेगा, जो मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

ii. समिति को भारत सरकार के बजटीय सहायता से कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए तैयार की गई सभी खेल अवसंरचना (अभ्यास स्थल सहित) का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

iii. सामुदायिक खेलों के संबर्द्धन के अलावा, राष्ट्रीय एथेलिटों के प्रशिक्षण के लिए इस तरह की अवसंरचना का प्रयोग करने और राष्ट्रीय अकादमियों को स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

iv. समिति भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के तत्वावधान में उपलब्ध सभी खेलगत बुनियादी सुविधाओं का सृजन और बेहतर उपयोग के लिए उन्हें एकछत्र लाकर एक कार्य योजना भी तैयार करेगी।

v. समिति अपेक्षित मंत्रालयों/विभागों और स्वायत्त निकायों की गतिविधियों के सामान्य क्षेत्रों की पहचान करने और उन गतिविधियों के साथ राष्ट्रीय खेल उद्देश्यों के समन्वय का प्रयास करेगी ताकि खेल के व्यापक प्रभाव का इस्तेमाल किया जा सके।

vi. समिति का उद्देश्य खेल गतिविधियों के विजन तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

vii. देश में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए समिति अन्य किसी मुद्दे पर भी उपयुक्त कारवाई कर सकती है।

viii. समिति जैसा आवश्यक हो उतनी बार मिलेगी परन्तु वर्ष में कम से कम चार बार मिलेगी।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अरुण कुमार सिंह
अवर सचिव

New Delhi-110003, the 9th October 2017

Subject : Khelo India – National Programme for Development of Sports Scheme – Empowered Committee.

No. 29-1/MYAS/MDSD/2017—Whereas the Cabinet in its meeting held on 20.09.2017, has approved the revamped Khelo India – National Programme for Development of Sports Scheme which envisages infusion of sports culture and achieve sporting excellence in the country and encourage sports for all thus allowing the population across gender and all age groups to harness the power of sports through its cross-cutting influence, namely, holistic development of children and youth, community development, social integration, gender equality, healthy lifestyle, national pride and economic opportunities related to sports development.

2. With a view to ensuring convergence with all relevant Ministries/Departments, including various Sports Promotion Boards and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) which are involved in sports promotion and development, the Cabinet has also approved setting up of an Empowered Committee under the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports.

3. The composition of the Empowered Committee is as follows:-

S. No.	Designation	
1.	Secretary (Sports)	Chairman
2.	Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Youth Affairs & Sports	Member
3.	Representative from Sports Authority of India not below the rank of Executive Director	Member
4.	Representative not below the rank of Joint Secretary/equivalent from : (i) NITI Aayog. (ii) Ministry of Corporate Affairs. (iii) Ministry of Culture. (iv) Ministry of Defence. (v) Ministry of Development of North Eastern Region (DoNER). (vi) Ministry of Drinking Water & Sanitation. (vii) Department of Empowerment Persons with Disabilities (Divyangjan). (viii) Ministry of Environment, Forest & Climate Change. (ix) Department of Health & Family Welfare. (x) Ministry of Home Affairs. (xi) Ministry of Housing and Urban Affairs. (xii) Ministry of Information & Broadcasting. (xiii) Ministry of New and Renewable Energy. (xiv) Ministry of Panchayati Raj. (xv) Ministry of Petroleum and Natural Gas. (xvi) Ministry of Railways (Railway Board) (xvii) Ministry of Rural Development. (xviii) Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. (xix) Ministry of Statistics and Programme Implementation. (xx) Ministry of Steel. (xxi) Ministry of Tourism. (xxii) Ministry of Tribal Affairs. (xxiii) Ministry of Women and Child Development. (xxiv) Department of Consumer Affairs. (xxv) Department of Higher Education. (xxvi) Department of School Education and Literacy. (xxvii) Department of Personnel & Training. (xxviii) Department of Heavy Industry. (xxix) Department of Public Enterprises. (xxx) Department of Youth Affairs (xxxi) Delhi Development Authority	Members

S. No.	Designation	
5.	Head of the organization or nominee not below the rank of Joint Secretary / equivalent from: (i) Services Sports Control Board. (ii) All India Police Sports Control Board. (iii) Railway Sports Promotion Board. (iv) Central Civil Services Cultural & Sports Board. (v) All India Public Sector Sports Promotion Board. (vi) Coal India Sports Promotion Association. (vii) Petroleum Sports Promotion Board (PSPB). (viii) School Games Federation of India (SGFI).	Members
6.	Head of the organization or nominee not below the rank of Joint Secretary / equivalent from: (i) Association of Indian Universities (AIU). (ii) University Grants Commission (UGC). (iii) University of Delhi (iv) Jamia Millia Islamia. (v) Guru Nanak Dev University.	Members
7.	Joint Secretary in charge of Mission Directorate – Sports Development, Department of Sports.	Member Secretary

4. The terms of reference of the Committee are as follows :

i. The Committee shall prepare a long-term Perspective Plan and Annual Joint Action Plan with respect to projects, programmes and expenditure on sports promotion and development, including optimal utilization of sports infrastructure, in order to achieve maximum convergence. This would also enable convergence with the efforts made by the Ministry of Youth Affairs & Sports, Sports Authority of India & other autonomous bodies under the control of the Ministry and the National Sports Federations, which are supported by the Ministry.

ii. The Committee has also been mandated to ensure optimum utilization of all sports infrastructure (including practice venues) that were created for Commonwealth Games 2010 through budgetary support from Government of India.

iii. Apart from community sports promotion, focus shall also be there on using such infrastructure for training of national athletes as also setting up national academies.

iv. The Committee shall also prepare an Action Plan for creation and better utilization of all Sports Infrastructure facilities available under the aegis of various Ministries / Departments and Central Public Sector Enterprises (CPSEs) of Govt. of India by bringing them under one umbrella.

v. The Committee will endeavour to identify common areas of activities of relevant Ministries/Departments and Autonomous bodies under their aegis and synergize the National sports objectives with those activities so that the cross-cutting influence of sports can be harnessed.

vi. The Committee shall aim to achieve the vision and national goals of sports activities.

vii. The Committee may take up any other issue for furtherance of Sports in the country.

viii. The Committee would meet as frequently as necessary, but not less than four times a year.

5. This issues with the approval of the competent authority.

ARUN KUMAR SINGH
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR SAGAYA RAJ
Digitally sign
by LAZAR
SAGAYA RAJ
Date: 2017.1(
09:59:52 +05'